पंजीयन क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108, भोपाल/2001

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा
भेजे जाने के लिये अनुमत अनुमति पत्र-क्र.
भोपाल एम.पी.वि.पू.भू./04, भोपाल 2007

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 590 भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2001-आश्विन 25, शक 1923

पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्र. एफ. 23-4-2001-पैंतीस-1,-पशुओं के प्रति क्रूरता कका निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का सं. 59) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पशु चकित्सा विभाग के समस्त अधिकारियों को, जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी के न हों, समस्त राजस्व अधिकारियों को, जो राजस्व निरीक्षक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी के न हों, वन विभाग के समस्त अधिकारियों को, जो रेंज अधिकारी की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी के न हों, रजिस्ट्रीकृत जिला पशु कल्याण समिति के समस्त सदस्यों को तथा मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग के समस्त सदस्यों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, पशु का अभिग्रहण करने, जब उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन किसी पशु के संबंध में, कोई अपराध किया गया है और उसे परीक्षण के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट/पशु चिकित्सा अधिकारी के समक्ष पेश करने के लिए प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. हकीम, अपर सचिव

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2001

क्र. एफ. 23-4-2001-पैंतीस-1.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 23-4-2001-पैंतीस-1, दिनांक 17 अक्टूबर, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. हकीम, अपर सचिव,